

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-1976-औस/2012-13 एम०/86

दिनांक 30 जून, 2012

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन के आदेश संख्या-547-औस/2007,-13-एम/86, दिनांक 15.02.2007 में

निर्धारित ग्रीष्म कालीन वर्दी की दरें निम्नवत् संशोधित कर निर्धारित की जाती है :-

ग्रीष्म कालीन वर्दी

दो सेट टेरी काट की
कमीज व पैन्ट

सिलाई सहित रू० 839/- को बढ़ाकर
अधिकतम रू० 950/- किया जाता है।

2. वर्दी की अनुमन्यता सम्बन्धी अन्य शर्तें यथावत् रखते हुए उक्त ग्रीष्मकालीन वर्दी की दरें तत्काल प्रभाव से लागू होगी। क्षेत्रीय अधिकारी उक्त वर्दी सिलवाकर उपलब्ध करायेगें तथा सम्बन्धित कर्मचारी को नियमित रूप से कार्य स्थल पर वर्दी धारण करने की बाध्यता होगी।

निदेशक मण्डल-की आज्ञा से,
निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०)

संख्या: 1976 (1) औस/2012-तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, केस्को लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ, कानपुर।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
3. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, छठों तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय)/(अराजपत्रित), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
5. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
7. संयुक्त सचिव (स०प्र०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
8. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
9. कारपोरेशन मुख्यालय के समस्त अधिकारी/निजी सचिव/अनुभाग अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
10. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन को बैठक नम्बे(51)/12 के सन्दर्भ में प्रेषित।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), क०स०-407, शक्ति भवन को उक्त आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु।
12. कट फाइल।


(कौशल चन्द्र सक्सेना)
उप महाप्रबन्धक (औस)